बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलमेंट सोसाइटी

पत्रांक- 417607 / पटना, दिनांक- 19/03/2019

BRDS ग्रा0वि0मनरेगा-02/2019

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- महात्मा गॉधी नरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में मिट्टी की ढुलाई (Carriage) हेतु ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन के उपयोग करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयके संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 के पैरा 22 में यह निर्धारित किया गया है कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा य़थासाध्यकार्यों का निष्पादन श्रमिकों द्वारा ही किया जाएगा और कोईश्रमिक विस्थापित मशीनों का उपयोग नहीं करेगा ।"

उल्लेखनीय है कि मनरेगा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक ग्रामीण परिवार के व्यस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से प्रति वर्ष 100 दिन का अकुशल मजदूरी उपलब्ध कराना है।

इस आलोक में निर्णय लिया गया है कि मनरेगा योजना अंतर्गत किसी भी प्रकार के मिट्टी से संबंधित कार्य में ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन में मिट्टी ढुलाई का प्रावधान करना आवश्यक हो तो प्राक्कलन का अनुमोदन जिला स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए :-

i. प्राक्कलन की कुल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन से ढुलाई पर अनुमान्य नहीं होगा ।

ii. ग्राम पंचायत अंतर्गत मिट्टी खुदाई वाली योजनाएं (तालाब, खेत-पोखर, आहर-पईन, Desiltationसे संबंधित कार्यो) से प्राप्त मिट्टी का उपयोग, मिट्टी भराई की योजनाओं (विद्यालय प्रागंण, खेल का मैदान, पक्का सडक निर्माण के क्रम में) में करना श्रेयस्कर होगा ।

iii. किसी भी परिस्थिति में मिट्टी का क्रय अनुमान्य नहीं होगा । अन्य स्थान से लाई गई मिट्टी की कटाई, भराई, Uploading एवं Unloading का कार्यमनरेगा में निबंधित अकुशल मजदूरों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।

iv. किसी भी परिस्थिति में कच्चा सडक (मिट्टी रोड, मोरम रोड) का निर्माण कार्य एवं निजी वास भूमि (Homestead Land) परमिट्टी भराई, समतलीकरण कार्य नहीं किया जायेगा । सार्वजनिक भूमि के मामले में केवल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) हेतु भूमि विकास को छोड़कर अन्य प्रकार के मिट्टी कार्य अनुमान्य नहीं होंगे।

v. इस प्रकार के सभी कार्यो का प्राक्कलन कनीय अभियंता(5 लाख तक की प्राक्कलित राशि सहित) द्वारा तैयार किया जायेगा ।

vi. प्राक्कलन के साथ ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन में ढुलाई की आवश्यकता से संबंधित प्रमाण पत्र जिला स्तर पर भेजा जायेगा, जिसमें मिट्टी की ढुलाई हेतु ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन की आवश्यकता का कारण, प्रस्तावित स्थल जहॉ से मिट्टी की ढुलाई की जानी है (Latitude एवं Longitude सहित) वास्तविक कार्य स्थल से उसका लीड (Lead) स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा । प्रमाण-पत्र में यह भी अंकित किया जाएगा कि मिट्टी की ढुलाई सबसे नजदीक (जहाँ मिट्टी उपलब्ध हो) के स्थान से किया जा रहा है ।

vii. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता के स्तर से समर्पित मैन्युल प्रस्तावित प्राक्कलन औरप्रमाण पत्र में अंकित ट्रैक्टर की आवश्यकता से संबंधित कारण एवं वास्तविक कार्य स्थल से उसका लीड को अभिप्रमाणित करते हुए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उप विकास आयुक्त-सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनुरोध पत्र के साथ समर्पित करेंगे । उप विकास आयुक्त-सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता स्तर पर जॉचोपरांत ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन का उपयोग करने के संबंध में अनुमोदन दिया जा सकेगा ।

viii. अनुमोदन उपरांत ही इस प्रकार के कार्यों की डाटा इंट्री नरेगा सॉफ़्ट पर कराया जायेगा तथा SECURE पर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा ।

ix. इस प्रकार के 10लाख तक के सभी प्राक्कलन से संबंधित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दी जाएगी, जिसमें मिट्टी उठाने का स्थल एवं लीड स्पष्ट रुप से अंकित करते हुए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

x. 10 लाख से अधिक प्राक्कलन वाले कार्यो की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया जायेगा तथा प्रशासनिक स्वीकृति उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिया जायेगा ।

xi. मापी पुस्तिका में मिट्टी कटाई एवं भराई स्थलों का Pre एवं Post Section को Graph पर Plot करते हुए मिट्टी की गणना पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा एवं इसका सत्यापन एक स्तर उपर से किया जाएगा । जिस स्थल से मिट्टी काटने/उठाने का प्रस्ताव है, उसका Latitude एवं longitude के साथ Photograph का संधारण अभिलेख में किया जाएगा ।

xii. Case File (अभिलेख) एवं मापीपुस्त में तिथिवार ट्रेक्टर की उपयोगिता की विवरणी तथा ट्रेक्टर का निबंधन संख्या अंकित किया जाए ।

xiii. ट्रैक्टर के उपयोग तथा उनकी अनुमानित लागत तथा जिन प्रयोजनों के लिए ट्रेक्टर का उपयोग किया जाएगा, से संबंधित ब्यौरे कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पट्ट (Citizen Information Board) में स्थानीय भाषा में अनिवार्य रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

xiv. Master Circular 2018-19 की कंडिका 7.1.3 (c) के प्रावधान अनुसार ऐसे कार्यों को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जाएगा तकि उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यों का विशेष रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जा सके ।

xv. यह भी सुनिश्चित किया जाए की पूर्व के Shelf of Projects में भी ट्रैक्टर/यांत्रिक वाहन से ढुलाई के कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया जाए ।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

19.03.19.

(सी0पी0 खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा